


Vande Matram

Dr. Syama Prasad Mookerjee

The Man and his Mission



डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

व्यक्तित्व एवं लक्ष्य

Dr. Syama Prasad Mookerjee

June 23 : Balidan Diwas

Dr. Syama Prasad Mookerjee founder President of Bharatiya Jan Sangh was born in Calcutta on July 06, 1901. Dr. Mookerjee the illustrious son of Sir Asutosh Mookerjee, "the Tiger of Bengal" and Smt. Jogmaya Debi was a statesman who fought not only against foreign rulers but also Indian detractors. He courageously evolved a different approach based on positive nationalism in opposition to the wavering and timid mindset of Nehruvian leadership. He was the first martyr of independent India who fell defending its integrity and sovereignty. His demise at Srinagar while being a captive of Sheikh Abdullah for forty days is an agonizing saga. His death will continue to be a blot on 'almighty' Nehruvian establishment that failed to protect the life of first leader of Opposition in Parliament. But more galling was the long rope given to shrewd separatists ready to bleed nationalist forces. Syama Prasad personified nationalism and his untimely loss was a great blow to this political school. In Parliament and out of it, he was a perfect antithesis to Nehru and Nehruvianism; and arguably the prospective Prime Minister of India. Though Jan Sangh, his political legacy, continued to increase its vote share and seats in successive elections, his death left the path for Congress monopoly wide open. It also signaled the demise of his ideology in his home province West Bengal- which his Herculean efforts had saved from being incorporated into East Pakistan or Sarat Bose-

Suhrawardi scheme of United Sovereign Bengal. It is ironical that ungrateful Marxists treat him as persona non grata in West Bengal while they stand on the soil he had redeemed from going to Pakistan, the graveyard of Marxism. "To be great", said Emerson 'is to be misunderstood'. Stigmatized as communal and hawkish, Syama Prasad was no exception. But the issues he addressed through his life and his death are something independent India still has to contend with. Time has vindicated the merit in him and time shall reveal the peril of ignoring him.

Dr. Mookerjee was the greatest fighter for united India and a crusader against the communal politics of Muslim League. One should not forget that he played a crucial role in bringing down the Muslim League ministry in Bengal and forming a coalition Government of non-communal Muslim and Hindus. He became the opposition leader when Krishak Praja Party - Muslim League coalition was in power 1937-41 and joined the Progressive Coalition Ministry headed by A K Fazlul Haq as a Finance Minister

He was a member of the first National cabinet led by the first Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru. It was due to his strenuous efforts and untiring labour that the Hindu majority part of Bengal remained with the rest of India, and thus the State of West Bengal came into existence. There was a tacit understanding between Dr. Mookerjee and Sardar Vallabh Bhai Patel in solving the crisis in Hyderabad. It was his suggestion that as the Prime Minister of India Jawahar Lal Nehru was busy dealing with Jammu and Kashmir the Home Minister Sardar Patel should deal with Hyderabad.

On April 8, 1950 he resigned from the Cabinet as a protest against Nehru Liaqat Ali pact. There was an acute disagreement between the two leaders regarding

the effectiveness of this agreement in finding a solution to the minority problem in both countries. Explaining the reasons for his resignation Dr. Mookerjee in a statement in Parliament said that his differences were fundamental and, "It is not fair or honourable for me to continue as a member of the cabinet whose policy I cannot approve."

After coming out from the Congress he formed Peoples Party of India in Bengal. He had the first meeting with Shri Guruji at Calcutta RSS office and after that meeting he decided to work through Jan Sangh. Dr. Mookerjee was formally elected as Jana Sangha President at Kanpur session in 1952. It was the same year when the BJS contested the first General Elections. BJS had limited success and it had only three members including Dr. Mookerjee in the first Lok Sabha. He induced a number of small parties and independent members to join him to form the National Democratic Party of which he became the leader. Once Nehru had said in Parliament, "I will crush Jana Sangha." Pat came the answer from Dr. Mookerjee, "I will crush this crushing mentality."

Syama Prasad Mookerjee passed away in Srinagar (J&K) on wee hours of June 23rd, 1953. That marked the end of his 52-years of vigorous life, last forty days of which were spent in imprisonment in a cottage near Srinagar's Nishat Bag. The shabby treatment, both human and medical, meted out to Syama Prasad resulted in his illness and death. The make over exercise of Sheikh Abdullah was at best a cover up that smacks of conspiratorial agenda. A bit of poetic justice caught up with Sheik Abdullah who was dismissed Sadar-i-Riyasat on recommendation of his own cabinet colleagues later that year and placed under imprisonment at a Gulmarg guesthouse.

Syama Prasad Mookerjee, in his second public

visit to the state, entered J&K on May 9, 1953. Shri Atal Bihari Vajpayee went to the border with Dr. Syama Prasad Mookerjee to see him off. Before entering into Kashmir Dr. Mookerjee told Atalji to pass on his message to the entire country. He openly violated the system of taking permit to enter the state, a must in those days. By transgressing the permit system he wanted to demonstrate that J&K is an integral part of India - and it is the fundamental right of an Indian to travel across its length and breadth unhindered by law. His objective was to bring the Indian Constitution to the state of J&K that had in principle acceded to Indian Union on October 26, 1947 but in practice being ruled as a sovereign republic by its iniquitous 'Prime Minister' Sheikh Abdullah. Ironically Sheikh Abdullah did so with resources from India and connivance of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. He exploited Article 370 of Indian Constitution that gave J&K an elitist privileged status. According to Article 370, apart from Defence, Foreign Affairs and Communications, Indian Parliament would need the concurrence of J&K Assembly to frame laws regards to items in Union and Concurrent List. It was intended to be a temporary provision till the Constituent Assembly of J&K ratified the Instrument of Accession signed by Maharaja Hari Singh on October 26, 1947. But the vested interest of powers that be has ensured the perpetuity of Article 370 till date. The Kashmiri establishment is fond of describing it as the 'article of faith' whereas in reality it as an 'article of exploitation' for extracting privileges from New Delhi but evading accountability. Article 370, prevented a free flow of Indian Constitution in J&K turning it into a glasshouse.

Dr. Mookerjee decided to enter Jammu and Kashmir without permit. When Dr. Mookerjee was about to leave for Kashmir Shri Guruji sent a message to him that his life was in danger but it could not be

communicated as he had already left. It seems there was a conspiracy as the authorities were aware that Dr. Mookerjee was going to cross border but he was not stopped at the border in spite of travelling without a permit.

Since Syama Prasad's untimely demise in 1953, various other provisions of Indian Constitution has been extended to J&K. Briefly they include Customs and Central Exercise, Civil Aviation, Posts and Telegraph (1954); All India Services like IAS and IPS and functions of CAG (1958), Census (1959), Central Labour Laws (1964), Direct elections of Lok Sabha (1966), Jurisdiction of Indian Supreme Court (1968) etc. Dual citizenship that existed then exists even now. But in those days when Symaprasad shone as the first Leader of Opposition in Indian Parliament, an Indian needed a special permit by J&K government to set foot in the state. J&K not only had a separate constitution and judiciary; but Sheikh Abdullah through Delhi Agreement (July 24, 1952) signed with Jawaharlal Nehru made flying a separate Kashmiri flag alongside Indian tricolour. Having an independent Constitution, an independent flag, and a 'Prime Minister' for J&K made a mockery of India's sovereignty and integrity. (It was only through an amendment in Kashmir Constitution w.e.f May 30, 1965 that denominations of 'Prime Minister' and 'Sadar-i-Riyasat became 'Chief Minister' and 'Governor' respectively).

Though Article 370 ensured a privileged status for J&K, its benefit was not forwarded to all its inhabitants. It ensured hegemony of Kashmiri Muslims who are dominant majority amongst Kashmiris but statistical minority vis-à-vis Dogras of Jammu and Ladhaki Buddhists. Dogras and Laddhakis have little stake Article 370 and would be happy to see it go any time. Nor it has proved to be in the interest of Kashmiri Pundits who are

now living in refugee camps of Delhi and Jammu. Article 370 meant to protect 'Kashmiriyat' have done precious little to protect or preserve them.

Thus there was one powerful roadblock to Sheikh Abdullah's secessionist and autocratic policies. They were the patriotic Dogras who wanted free flow of Indian Constitution into J&K or else being placed outside 'Sheikhdom'. From Maharaja Gulab Singh to Hari Singh, it was a Dogra dynasty that had ruled J&K for a full century. Dogras also produce brave soldiers for Indian Army. Deeply shocked by Sheikh Abdullah's policies hurting Dogras and beguiling rest of India they had organized themselves in a mass organization Praja Parishad. Led by a 70-year old energetic and sincere leader Pandit Prem Nath Dogra they carried on popular agitation within democratic norms. They gave a stirring call- "Ek Desh Me Do Vidhan/Ek Desh Men Do Nishan/Ek Desh Men Do Pradhan/Nahin Challenge, Nahin Challenge- (Two Constitutions, two Flags and two head of states in one country, won't be tolerated). The Sheikh Abdullah with complicity, nay active indulgence of Nehru, was hell bent on crushing this mass movement. It was at this juncture that Syama Prasad Mookerjee's way crossed with that of Praja Parishad's patriotic movement.

A meeting with Pt. Dogra in May, 1952 at New Delhi's Western Court proved to be a momentous event in life of Syama Prasad. Syama Prasad had his grounding in Bengal politics before moving on to national politics while Kashmir crisis in the making could hardly have escaped his political interest. But this Lion of Bengal, after meeting Pandit Dogra, made cause of Kashmir almost his personal. The State of Jammu and Kashmir was under the foreign ministry and the prime minister himself was taking care of this ministry. Mookerjee had

correspondence with Nehru but Nehru dubbed this agitation as 'Communal Movement'. Nehru bungled with J&K with confidence of a native. He put his entire stake in Sheikh Abdullah, who was his childhood friend, only to be disillusioned later. Syama Prasad metaphorically clashed sword with Nehru at the floor of Parliament over his policies encouraging separatism in Kashmir. "I would like to know" Syama Prasad asked during a Lok Sabha debate, "are Kashmiris Indian first and Kashmiris next or they are Kashmiris first and Indian next or they are Kashmiris first, second and third and not Indian at all? That is a very important point which we have to settle."

Nehru government's public posturing over Praja Parishad's movement was one of complete indifference. It wanted to inform Indian public opinion that it was a movement by lunatic fringe. Nehru had even refused an audience to Prem Nath Dogra. The Praja Parishad decided to hold its convention of its workers at Jammu on August 9 and 10, 1952. It extended invitation to all Members of Parliament to see for themselves the immense groundswell in favour of Parishad. Syama Prasad's Mookerjee first public tour of J&K was in that connection.

Syama Prasad left Delhi for Jammu on August 8 night by Kashmir Mail along with U.M. Trivedi, Babu Narain Singh, both MPs and Balraj Madhok. In Jammu he addressed a crowd of hundred thousand people. He stressed on the need for adhering to Satyagraha by the Praja Parishad. A more drastic method could be resorted to if Satyagraha had no impact on Sheikh Abdullah. Some might have discounted it as pacifism but other appreciated as his political saneness. But he promised to stand by them always and mobilize public opinion all over India in support of Praja Parishad's cause. Less than a year later he came back to keep his words even if it

meant to lay down his life.

Syama Prasad, immediately on his return to Delhi, conferred with Nehru. He tried to convince him that Praja Parishad was a popular mass movement and could not be discounted as a fringe activity. But Nehru took no heed of his words and continued to undermine the nationalistic movement of Jammu in collusion with Sheikh Abdullah.

Sheikh Abdullah, per Delhi Agreement (also called July Agreement) signed on July 24, 1952 with Nehru, had extracted further privileges. It included fluttering a separate flag for Kashmir, which was National Conference flag remodeled. A major showdown happened when Sheikh Abdullah tried to hoist this flag at State Secretariat at Jammu, J&K winter capital. Pandit Prem Nath Dogra declared no other flag but Indian tricolour should flutter in Jammu. Sheikh Abdullah, bolstered by obliging Nehru's CRPF deployment, let lose a reign of terror. It is strange that when a Leader of Opposition was upholding his nationalistic Dharma, a Prime Minister was undermining it.

Syama Prasad's next visit, also his last bow, came in May 1953 as snow began to melt in the Valley. In previous six months nearly 2500 satyagrahis had been arrested by Sheikh Abdullah government whereas 30 had been killed. From Ambala he sent a telegram to Sheikh Abdullah-"I am proceeding to Jammu. My object of going there is to study the situation myself and to explore the possibilities of creating condition leading to peaceful settlement. I will like to see you also if possible". He received Sheikh Abdullah's reply through a telegram at Phagwara-"Thanks your telegram. I am afraid your proposed visit to the State at the present juncture inopportune and will not serve any useful purpose."

From Phagwara he motored to Jalandhar where he said in a Press Conference-" India had taken the issue of J&K to UNO for stopping Pakistani aggression and for getting her armies out of the State and not to settle when plebiscite was to be held there. Pt. Nehru should have protested against this deflection from the main issue and should have withdrawn from UNO if it had failed to accept this".

He got an intimation of his forthcoming arrest in Jalandhar itself when an elderly person who identified himself as Deputy Commissioner of Gurdaspur decided not to allow him to reach Pathankot. "I am expecting instructions from my Government as to where you should be put under arrest". The Deputy Commissioner accompanied Syama Prasad to Pathankot via Amritsar. But at Pathankot the same person surprised him by telling that the government had allowed him to proceed without permit. While no restriction was put on his companions, it was advisable that their number was less. One wish Syama Prasad had realized what a conspiracy it was to push him into the state where the protecting hand of Supreme Court was not available. He left Pathankot in a jeep amidst uproarious victory chants.

He was cleared at Madhopur Check Post of the Ravi Bridge at 4 pm but as his jeep reached at the centre of the bridge he found road blocked by Kashmir Police. An Order of Chief Secretary dated May 10, 1953 banned his entry into the state and he was arrested by the superintendent of police Kathua. He was taken to Srinagar via. Lakhanpur.

A small cottage converted into a sub-jail on a mountain slope near Nishat Bag served as last abode for following five weeks. It was about eight miles away from the city and with no arrangement for medical facilities. The nearest telephone was hundred yards away

in a water substation. Syama Prasad had high blood pressure which meant high altitude notwithstanding its scenic beauty proved harmful to him. His health began to deteriorate fast as he began to lose his appetite. He was not even allowed the facility of walking outside bungalow even though the doctor Colonel Chopra had recommended it. None of his friends or relatives were allowed to interview him while in jail.

He developed a pain in chest and high temperature on night of June 19. On June 20 he was administered Streptomycin by Dr. Ali Mohammed much against wishes of Syama Prasad who protested that his family physician had forbidden Streptomycin for him. On 22nd night and early hours of 23rd June came the end of the great son of the soil.

What happened in State Nursing home remains shrouded in mystery? Barrister U.M. Trivedi met him in the evening confident that he would be set at liberty the next day as a result of habeas corpus filed in Srinagar Supreme Court. Health of Syama Prasad who was weak but cheerful when Barrister Trivedi left at 7.30 pm deteriorated that night. He was said to have passed away at 3.45 am on June 23rd. The version of Sheikh Abdullah government at his death was more of a cover up exercise aimed at hiding its criminality.

The conspiracy for Dr. Mookerjee's death deepens because no enquiry into his death was set up. The reason was very obvious because the enquiry would have brought out only two things either Dr. Mookerjee died due to medical negligence or was deliberately killed. When Dr. Mookerjee was taken to the hospital Vaidya Gurudutt and Tek Chandra Shrama were not allowed to accompany him.



डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

23 जून : बलिदान दिवस

भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। डा. मुकर्जी शेर-बंगाल सर आशुतोष मुकर्जी तथा श्रीमती जोगमाया देवी के प्रतिभावान पुत्र थे, जिन्होंने न केवल विदेशी शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बल्कि भारत में ही स्वतंत्रता, भारतीयता और राष्ट्रीयता के विरोधियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने नेहरू की दुलमुल और भीरु नेतृत्व के खिलाफ सकारात्मक राष्ट्रवाद के आधार पर एक बिल्कुल ही अलग प्रकार का रवैया अपनाया। वे स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने देश की अखण्डता तथा सम्प्रभुता की रक्षा के लिए प्राण दिए। 40 दिनों तक शेख अब्दुल्ला द्वारा श्रीनगर में बंदी रखने के बाद उनकी मृत्यु अत्यंत पीड़ाजनक हुई। उनकी मृत्यु सदैव 'सर्वशक्तिशाली' नेहरू सरकार पर एक काला धब्बा बना रहेगा, जो संसद में पहले विपक्ष के नेता का जीवन बचाने में विफल रही। परन्तु इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इस सरकार ने ऐसे धूर्त अलगाववादियों को शहीदी बनाया जो राष्ट्रवादी शक्तियों का खून बहा रहे थे। श्यामा प्रसाद राष्ट्रवाद के पर्याय हैं। और उनके आध्यात्मिक निधन से हमारे राजनैतिक मत को भारी धक्का लगा है। संसद में और संसद के बाहर वह नेहरू और नेहरूवाद के सिद्धांतों का तिरस्कार करते थे और भारत के भावी प्रधानमंत्री की हैसियत रखते थे। हालांकि उनकी राजनैतिक विरासत जनसंघ ने आने वाले चुनावों में निरन्तर अपने वोट शेर और सीटों में वृद्धि की, परन्तु उनके निधन के कारण कांग्रेसी एकाधिपत्य का रास्ता खुल गया। इससे हमें उनके अपने प्रांत पश्चिमी बंगाल में उनकी विचारधारा समाप्ति का संकेत मिलता है किन्तु उनके भागीरथ प्रयास के कारण इस प्रदेश को पूर्वी पाकिस्तान का संयुक्त सम्प्रभु बंगाल (यूनाइटेड सावरेन बंगाल) की शरत बोस- सुहरावर्दी

योजना में विलय होने से बचा लिया। यह विडम्बना है कि कृतघ्न मार्क्सवादियों ने पश्चिमी बंगाल में उनके साथ 'अवांछित व्यक्ति' का व्यवहार किया जबकि मार्क्सवादी उसी धरती पर खड़े हैं, जिसे श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने 'मार्क्सवादियों की कब्र', पाकिस्तान में जाने से बचा लिया। एमर्सन ने कहा था कि "महान व्यक्ति को गलत समझा ही जाता है।" श्यामा प्रसाद मुकर्जी को 'साम्प्रदायिक' और 'धोखेबाज' कहना इस नियम का अपवाद नहीं था। परन्तु जिस मुद्दे का समाधान वह जीवनभर करते आए, वह एक ऐसी चीज है जिसका मुकाबला स्वतंत्र भारत को अभी भी करना शेष है। समय ने उनके गुणों को पहचाना है और समय ही यह भी बता देगा कि उनकी उपेक्षा करने से कितने खतरे उमड़ आएंगी।

डा. मुकर्जी अखण्ड भारत की लड़ाई में सबसे आगे थे और उन्होंने मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक राजनीति के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। यह बात कभी भुलाई नहीं जा सकती कि उन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग मंत्रिमण्डल को गिराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और एक गैर-साम्प्रदायिक मुस्लिम-हिन्दू गठबंधन सरकार बनाई थी। 1937-41 में जब कृषकप्रजा पार्टी-मुस्लिम लीग गठबंधन सत्ता में थी तो वे विपक्ष के नेता थे और ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में प्रगतिशील (प्रोग्रेसिव) गठबंधन सरकार में वह वित्तमंत्री रहे थे।

डा. मुकर्जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय केबिनेट के सदस्य थे। यह उन्हीं का गहन प्रयास तथा अथक श्रम था कि जिसके कारण बंगाल का हिन्दु बहुमत शेष भारत के साथ बना रहा और इसी कारण पश्चिम बंगाल एक राज्य बन पाया। हैदराबाद की विकट समस्या का हल करने में डा. मुकर्जी और सरदार बल्लभभाई पटेल के बीच एक मौन सहमति थी। उन्हीं के सुझाव पर ऐसा हुआ कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जम्मू तथा कश्मीर की समस्या में लगे हैं तो हैदराबाद का मुद्दा गृहमंत्री सरदार पटेल को सौंप दिया जाए।

8 अप्रैल 1950 को उन्होंने नेहरू-लियाकत पैक्ट के विरोध में मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया। दोनों देशों के बीच अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या के समाधान के बारे में इस समझौते के पड़ने वाले प्रभावों पर दोनों नेताओं के बीच भारी असहमति थी। डा. मुकर्जी ने अपने त्यागपत्र के कारण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने संसद में कहा था कि उनके मतभेद मौलिक है

और कहा था कि “मेरे लिए यह उचित और संभव नहीं होगा कि मैं एक ऐसी केबिनेट का सदस्य बना रहूँ जिसकी नीतियों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ।”

कांग्रेस से बाहर आने के बाद उन्होंने बंगाल में पीपुल्स पार्टी आफ इण्डिया बनाई। उनकी श्री गुरुजी से पहली मुलाकात कलकत्ता में आर. एस.एस. कार्यालय में हुई थी और उसके बाद उन्होंने जनसंघ बनाकर काम करने का निर्णय लिया। 1952 में डा. मुकर्जी को कानपुर अधिवेशन में जनसंघ का औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुना गया। उसी वर्ष भारतीय जनसंघ ने पहला आम चुनाव लड़ा। भारतीय जनसंघ को बहुत सीमित सफलता मिला और पहली लोकसभा में डा. मुकर्जी सहित केवल तीन सदस्य चुने गये। उन्होंने अनेक छोटी पार्टियों तथा कुछ स्वतंत्र सदस्यों को प्रेरित किया और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई जिसके वे नेता थे। एक बार नेहरू ने संसद में कहा था “मैं जनसंघ को कुचल दूंगा। डा. मुकर्जी ने इस पर कहा था कि “मैं कुचलने की इस मानसिकता को ही कुचल दूंगा।”

23 जून 1953 की प्रभात बेला में श्यामा प्रसाद मुकर्जी का निधन श्रीनगर में हो गया था। इस निधन से उनके कठिन परिस्थितियों में गुजरे 52 वर्षों का अंत हो गया, जिनमें से उनके आखिर के 40 दिन श्री नगर के निशातबाग की एक काटेज में बंदी के रूप में गुजरे थे। श्यामा प्रसाद मुकर्जी के साथ मानवीय तथा मेडिकल दोनों रूप में जिस प्रकार का गंदा व्यवहार किया गया, उसके कारण वे बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। शेख अबदुल्ला ने जिस प्रकार का स्वांग भरने की कोशिश की, उससे तो उनके षडयंत्र की बू ही आती है। बाद में उसी वर्ष उनके अपने केबिनेट साथियों की सिफारिश पर सदर-ए-रियासत ने उन्हें बर्खास्त कर दिया और उन्हें गुलमर्ग गेस्ट हाउस में बंदी बना लिया।

9 मई 1953 को श्यामा प्रसाद मुकर्जी दूसरी बार जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रविष्ट हुए। डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के साथ उन्हें विदाई देने के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी सीमा तक गए थे। डा. मुकर्जी ने कश्मीर में प्रवेश करने के पूर्व अटलजी से कहा था कि वे मेरा संदेश पूरे देश तक पहुंचा दें। उन्होंने खुलेआम उन दिनों राज्य में लागू परमिट लेकर प्रवेश करने के पद्धति का उल्लंघन किया। परमिट प्रणाली का अतिक्रमण

कर वे दिखाना चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है— और किसी भी भारतीय का यह मौलिक अधिकार है कि वह कानूनन देश के किसी भी हिस्से में आ-जा सकता है। उनका उद्देश्य इतना ही था कि जम्मू कश्मीर प्रदेश को भारतीय संविधान के अन्तर्गत लाया जाए, जिसका विलय भारतीय संघ के साथ 26 अक्टूबर 1947 को हो गया था। परन्तु व्यावहारिक रूप से यहां एक अन्याय हो रहा था कि ‘प्रधानमंत्री’ शेख अब्दुल्ला इसे एक सम्प्रभु गणराज्य के रूप में शासन चला रहे थे। यह भी एक विडम्बना थी कि शेख अब्दुल्ला यह सब कुछ भारत के संसाधनों से कर रहे थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू भी इस षडयंत्र में शामिल थे। श्री अब्दुल्ला ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का भरपूर लाभ उठाया, जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर को अलग से विशेषाधिकार का दर्जा दे दिया गया था। अनुच्छेद 370 के अनुसार, रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के अलावा भारत की संसद को संघीय और समवर्ती सूची की मदों के बारे में कानून बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सहमति लेनी आवश्यक होगी। इरादा तो यही था कि जब तक 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरिसिंह द्वारा ‘विलय के समझौते’ — इन्ट्रूमेंटेशन और एक्सेशन’ को जम्मू-कश्मीर विधानसभा स्वीकार नहीं कर लेती है तब तक यह एक अस्थायी प्रावधान रहेगा। परन्तु, सत्ता के निहित स्वार्थों ने सुनिश्चित किया हुआ है कि आज तक भी अनुच्छेद 370 स्थायी बना पड़ा है। कश्मीरी सरकार को इस अनुच्छेद को “विश्वास का अनुच्छेद” कहने का चाव है। जबकि सच्चाई यही है कि नई दिल्ली के विशेषाधिकार प्राप्त करने का, परन्तु जवाबदेही से बचने का, यह एक ‘लाभ उठाने वाला अनुच्छेद’ बनकर रह गया है। अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को लागू करने में रूकावट आती है, जिससे यह कांच का घर बन कर रह गया है।

डा. मुकर्जी ने जम्मू और कश्मीर में बिना परमिट प्रवेश करने की ठान ली। जब डा. श्यामा प्रसाद कश्मीर में प्रवेश करने वाले थे तभी श्री गुरुजी ने एक सन्देश भेजा कि उनका जीवन खतरे में है परन्तु यह सन्देश उन तक नहीं पहुंचा पाया क्योंकि वे पहले ही प्रस्थान कर चुके थे। ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक षडयंत्र था क्योंकि डा. मुकर्जी ने जब सीमापार की तब उनके पास यात्रा करने का कोई परमिट नहीं था, फिर भी अधिकारियों ने उन्हें यह मालूम होते हुए भी रोका नहीं।

1953 में श्यामा प्रसाद मुकर्जी के असामयिक निधन के बाद भारतीय संविधान के कई अन्य प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू कर दिए गए। संक्षेप में इनमें सीमा और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागर विमानन, डाक और तार (1954), आईएसएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाएं तथा सीएजी के कार्य (1959), केन्द्रीय श्रम विधि (1964), लोकसभा के प्रत्यक्ष चुनाव (1964), भारतीय उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र (1968) आदि शामिल हैं। दोहरी नागरिकता तब भी लागू थी जो अभी भी लागू है। परन्तु उन दिनों जब डा. श्यामा प्रसाद तो भारतीय संसद में विपक्ष के नेता थे, उन्हें भी जम्मू कश्मीर राज्य में पांव रखने के लिए वहीं की सरकार के विशेष परमिट की जरूरत थी। जम्मू-कश्मीर में न केवल अलग संविधान और अलग न्यायपालिका थी बल्कि शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू के साथ दिल्ली समझौते (24 जुलाई 1952) पर हस्ताक्षर किया जिसमें भारतीय तिरंगे के साथ कश्मीरी झण्डा फहराने का भी प्रावधान मिला। अलग संविधान, अलग झण्डा, और जम्मू तथा कश्मीर का प्रधानमंत्री का पद होने से भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता मखौल बन कर रह गयी। (30 मई 1965 में कश्मीर संविधान में संशोधन करने के बाद यह सम्भव हो सका कि 'प्रधानमंत्री' और 'सदर-ए-रियासत' को 'मुख्यमंत्री' तथा 'राज्यपाल' का दर्जा मिल सका।

अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार दर्जा मिला हुआ है, जिसके कारण यहां के सभी निवासियों को इसका लाभ मिल नहीं पाता। इसके कारण कश्मीरी मुस्लिम अपना प्रभुत्व रखते हैं परन्तु जम्मू में डोगरा लोगों तथा लद्दाखी बौद्धों के मुकाबले में सांख्यिकीय रूप से अल्पसंख्यक हैं। डोगरा और लद्दाखी लोगों को अनुच्छेद 370 से खतरा ही खतरा है और यह अनुच्छेद कभी भी खत्म होने पर खुशी ही होगी। न ही यह अनुच्छेद कश्मीरी पंडितों के हित में है जो आज भी दिल्ली और जम्मू के शरणार्थी शिविरों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 होने से 'कश्मीरियत' की रक्षा करने या उसे बनाए रखने में जरा भी मदद नहीं मिली है।

शेख अब्दुल्ला की अलगाववादी और तानाशाही नीतियों का विरोध करने वाली एक शक्तिशाली अड़चन थी तो वे थे देशभक्त डोगरा जिन्होंने यह चाहा कि भारतीय संविधान को निर्बाध रूप से जम्मू-कश्मीर में लागू

किया जाए या 'शेखडम' को बाहर रखा जाए। महाराजा गुलाब सिंह से हरिसिंह तक डोगरा खानदान ने ही पूरी एक शताब्दि तक जम्मू-कश्मीर पर राज्य किया है। डोगरा लोगों ने ही भारतीय सेना के लिए बहादुर सैनिक प्रदान किए हैं। शेख अब्दुल्ला की नीतियों से आहत होकर डोगरा और शेष भारत के डोगरा लोगों ने 'प्रजा परिषद' नाम का एक संगठन बनाकर स्वयं को एकत्र किया। उन्होंने लोगों का जबरदस्त आह्वान किया— "एक देश में दो विधान। एक देश में दो निशान। एक देश में दो प्रधान। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।" शेख अब्दुल्ला ने पूरे अपराधपूर्ण ढंग से बल्कि नेहरू की सक्रिय भागीदारी से इन जनांदोलन को कुचल देने की शपथ ली थी। ऐसे ही अवसर पर श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने प्रजा परिषद के देशभक्ति पूर्ण आन्दोलन का साथ दिया।

मई 1952 में पं. डोगरा ने श्यामा प्रसाद मुकर्जी के साथ एक मुलाकात की, जो उनके जीवन की ऐतिहासिक घटना बन गई। श्यामा प्रसाद का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने से पूर्व बंगाल की राजनीति से गहरा सरोकार रहा था, जबकि तत्कालीन जम्मू कश्मीर संकट उनके अपने राजनीतिक हितों में शायद ही आता हो। परन्तु पं. डोगरा से मुलाकात के बाद इस शेर-ए-बंगाल ने काश्मीर हितों को लगभग अपना व्यक्तिगत लक्ष्य ही मान लिया। जम्मू और कश्मीर राज्य विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत था और प्रधानमंत्री भी स्वयं इस मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। मुकर्जी ने नेहरू के साथ पत्राचार किया परन्तु नेहरू ने इसे 'साम्प्रदायिक आन्दोलन' कह कर दबा दिया।

नेहरू ने 'कश्मीर निवासी' बनकर बड़े विश्वास से जम्मू-कश्मीर के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने अपना पूरा दांव शेख-अब्दुल्ला के साथ लगा दिया, जो उनके बचपन के मित्र थे, परन्तु बाद में शेख अब्दुल्ला से उनका मोह-भंग साबित हुआ। श्यामा प्रसाद ने संसद के सदन में नेहरू के साथ कश्मीर के बारे में उनकी अलगाववाद को शह देने वाली नीतियों पर लगभग तलवार खींच ली थी। श्यामा प्रसाद ने लोकसभा में एक बहस में कहा था— " मैं जानना चाहूंगा कि क्या काश्मीरी पहले भारतीय हैं या फिर क्या वे पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के कश्मीरी हैं और भारतीय बिल्कुल भी नहीं हैं? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिन्दु है, जिसके बारे में हमें फैसला करना ही होगा।"

नेहरू सरकार ने प्रजा परिषद के आन्दोलन को पूरी तरह से उपेक्षित किया हुआ था। यह सरकार भारत के लोगों को बताना चाहती थी कि यह आन्दोलन पागलों का आन्दोलन है। यहां तक कि नेहरू ने प्रेम नाथ डोगरा से मुलाकात तक नहीं की। प्रजा परिषद ने 9 और 10 अगस्त 1952 को जम्मू में अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया। इसने सभी सांसदों को आमंत्रित किया ताकि वे स्वयं ही परिषद के पक्ष में बह रही हवा को देख सकें। श्यामा प्रसाद मुकर्जी द्वारा जम्मू कश्मीर का पहला सार्वजनिक दौरा इसी सम्बन्ध में किया गया था।

श्यामा प्रसादजी ने दो सांसदों यू.एम. त्रिवेदी, बाबू नारायण सिंह और बलराज मधोक के साथ अगस्त की रात्रि को जम्मू के लिए रवाना हुए।

वे जम्मू आए और वहां हजारों लोगों की भीड़ को सम्बोधित किया। उन्होंने प्रजा परिषद के सत्याग्रह में भाग लेने की जरूरत पर जोर दिया। यदि शेख अब्दुल्ला पर सत्याग्रह का असर न हो तो और भी कड़े तरीके अपनाने होंगे। कुछ लोगों ने इसे शांतिवाद का नाम देकर बेमानी मान लिया हो, परन्तु अन्य लोगों ने उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता की सराहना की। परन्तु उन्होंने प्रजा परिषद का साथ निभाने का वायदा किया और सदैव ही पूरे भारत में प्रजा परिषद का समर्थन करने के लिए जनमत बनाने का काम किया। बाद में एक साल से भी कम समय में वे अपना वायदा निभाने के लिए फिर से आए चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों देनी पड़ी हो।

दिल्ली लौटने के तुरन्त बाद श्यामा प्रसादजी ने नेहरू से मंत्रणा की। उन्होंने नेहरू को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि प्रजा परिषद एक जनान्दोलन है और इसे मामूली गतिविधि कहकर नकारना गलत होगा। परन्तु नेहरू ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर जम्मू के इस राष्ट्रीय आन्दोलन की अनदेखी करते रहे।

दिल्ली समझौते (जुलाई आंदोलन के नाम से विख्यात) के अनुसार शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ 24 जुलाई 1952 को हस्ताक्षर किए, जिसमें अब्दुल्ला ने और भी विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए। इसमें अलग झण्डा फहराना शामिल था, जिसे नेशनल कांग्रेस ने फिर से नया रूप दिया था। जब शेख अब्दुल्ला ने इस झण्डे को जम्मू-कश्मीर की शीतकालीन

राजधानी जम्मू के राज्य-सचिवालय में फहराने की कोशिश की तो यह अवसर 'खुले संघर्ष' का समय था। पं. प्रेमनाथ डोगरा ने घोषणा की कि भारतीय तिरंगे के अलावा कोई और झण्डा जम्मू में नहीं फहराया जाएगा। नेहरू द्वारा सीआरपीएफ की तैनाती से उत्साहित होकर शेख अब्दुल्ला ने आतंक फैला दिया। यह कितना विचित्र था कि जब विपक्ष के नेता राष्ट्रवादी 'धर्म' निभा रहे थे तो प्रधानमंत्री इसी राष्ट्रवादी 'धर्म' की अनदेखी कर रहे थे।

श्यामा प्रसाद का अगला दौरा मई 1953 में घाटी में बर्फ पिघलने के अवसर पर शुरू हुआ। पिछले छः महीनों में शेख अब्दुल्ला ने लगभग 2500 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 30 सत्याग्रही मारे भी गए। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को अम्बाला से तार भेजा— " मैं जम्मू आ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं स्वयं स्थिति का जायजा लूँ और शांतिपूर्ण समाधान से लिए स्थितियाँ पैदा करने की संभावनाओं की तलाश करूँ।" उन्हें शेख अब्दुल्ला से तार द्वारा फगवाड़ा में उत्तर मिला— "तार के लिए धन्यवाद। मुझे भय है कि राज्य में आपकी प्रस्तावित यात्रा इस समय अनुपयुक्त है और इससे कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा।"

फगवाड़ा से मोटर में जालंधर गए जहां उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन में कहा— "भारत, पाकिस्तानी हमला रोकने और जम्मू और कश्मीर राज्य से अपनी सेनाएं हटाने के लिए इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले गया था न कि इसे जनमत-संग्रह द्वारा तय कराने के लिये। पं. नेहरू को इस विषयान्तर का विरोध करना चाहिए था और और संयुक्त संघ से हट जाना चाहिए, यदि वह इसे स्वीकार न करा सके।"

श्यामा प्रसाद मुकर्जी को जालंधर में ही अपनी गिरफ्तारी की सूचना मिल गई थी जब एक वयोवृद्ध सज्जन गुरुदासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने निर्णय ले लिया था कि उन्हें पठानकोट पहुंचने नहीं दिया जाएगा। "मुझे अपनी सरकार से निर्देश मिलने की आशा है कि आपको किस जगह पर गिरफ्तार किया जाए।" डिप्टी कमिश्नर श्यामा प्रसाद के साथ अमृतसर के रास्ते से पठानकोट तक साथ रहे। परन्तु पठानकोट में इसी व्यक्ति ने यह कहकर आश्चर्यचकित कर दिया कि सरकार ने उन्हें बिना परमिट आगे जाने की इजाजत दे दी है। हालांकि उनके साथियों के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा है, परन्तु बेहतर होगा कि इन साथियों की संख्या कम

हो। काश, श्यामाप्रसादजी को यह महसूस हो गया होता कि यह एक षडयंत्र था कि उन्हें एक ऐसे राज्य में प्रवेश करने के लिए भेजा जा रहा है जहां उनकी सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय का हाथ नहीं होगा। वे विजय गान की धूमधाम के साथ जीप में पठानकोट के लिए रवाना हो गए।

श्यामा प्रसादजी को 4 बजे रावी पुल पर माधोपुर चैक-पोस्ट पर आगे जाने की स्वीकृति मिल गई। परन्तु जैसे ही पुल के बीच में जीप पहुंची तो वहां कश्मीर पुलिस ने उनका रास्ता रोक रखा था। 10 मई 1953 के मुख्य सचिव के आदेश द्वारा राज्य में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी और कटुआ के पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लखनपुर के रास्ते श्रीनगर ले जाया गया।

अगले पांच सप्ताहों तक निशातबाग के निकट पर्वत ढलान पर बनी एक सब जेल में परिवर्तित एक काटेज उनकी आखिरी निवास बन कर रह गयी। यह काँटेज नगर से 8 मील दूर थी और वहां डाक्टरी सुविधा की कोई सुविधा नहीं थी। सौ गज की दूरी पर स्थिति एक वाटर-सब स्टेशन में निकटतम टेलीफोन सुविधा थी। श्यामा प्रसाद जी उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे। अतः वहां के खूबसूरत दृश्यों से घिरी होने के बावजूद ऊंचाई उनके लिए नुकसान देह हो सकती थी। उनकी भूख के कम होने के साथ-साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जाने लगा। हालांकि डा. कर्नल चोपड़ा ने उन्हें बंगले के बाहर घूमने की सिफारिश की थी, परन्तु उन्हें यह सुविधा भी प्रदान नहीं की गई। जेल में रहते हुए उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी बातचीत नहीं कर सकता था।

19 जून की रात्रि को उनके सीने में दर्द उठा और उन्हें तेज बुखार हो गया। 20 जून को डा. अली मोहम्मद ने श्यामा प्रसादजी की मर्जी के बिना उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दी जबकि उन्होंने यह दवा देने का विरोध किया क्योंकि उनके डाक्टर ने उनके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन देने के लिए मना किया हुआ था। 22 जून की रात्रि को और 23 जून की प्रभात वेला में इस महान सपूत का इस धरती पर स्वर्गवास हो गया।

राजकीय नर्सिंगहोम में क्या हुआ, वह अभी तक रहस्य से भरा हुआ है? बैरिस्टर यू.के.त्रिवेदी ने शाम को उनसे मुलाकात की और उन्हें

विश्वास था कि उन्हें श्रीनगर सुप्रीम कोर्ट में दायर 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' के फलस्वरूप अगले दिन रिहा कर दिया जाएगा। जब बैरिस्टर त्रिवेदी 7.30 बजे शाम को श्यामा प्रसाद जी से मिलकर चले तो उनका स्वास्थ्य कमजोर तो था, परन्तु वे खुश थे, परन्तु उस रात उनकी हालत बिगड़ती गई। कहा जाता है कि 23 जून को प्रातः 3.45 बजे उनका निधन हो गया। शेख अब्दुल्ला सरकार ने उनके निधन पर जो कुछ कहा वह इस सरकार की अपराध भावना को छिपाने के उद्देश्य से की गई बातें थीं।

डा. मुकर्जी की मृत्यु का षडयंत्र इसलिए और भी गहरा हो जाता है क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद कोई जांच नहीं बिटाई गई। इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि इस जांच से दो बातें साफ होकर सामने आतीं या तो डा. मुकर्जी की मृत्यु डाक्टरी उपेक्षा के कारण हुई या उन्हें जानबूझ कर मारा गया। जब डा. मुकर्जी को अस्पताल ले जाया गया तो वैद्य गुरुदत्त और टेकचन्द्र शर्मा को उनके साथ जाने की अनुमति नहीं दी गई।

